

कार्यालय, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक [सी.स.], सीमा सड़क भवन,
रिंग रोड, दिल्ली छावनी-10

कार्यालय आदेश भाग 1 संख्या - 123

दिनांक :- 29/08/2013

विषय :- वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित 05 जुलाई, 2013 से प्रभावी विनिमय राष्ट्रीय बाजार दरें।

उपरोक्त विषयक रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय के पत्र संख्या लेखा/III/7896/इ आर/ओ आर/2013-14 दिनांक 16/07/2013 के अंतर्गत प्राप्त भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के दिनांक 04/07/2013 के अधिसूचना संख्या 70/2013- Customs(N.T.)की प्रतिलिपि जो अब रक्षा मंत्रालय (वित्त) (बजट-II) की दिनांक 05/07/2013 की अ.वि.सं.230(1)/2009/बी-II के अधीन प्राप्त हुई है, सूचनार्थ मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। आपसे अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित करें।

कृपया पावती दें।

व. लेखा अधि.(लेखा परीक्षा)

फाइल संख्या :- ए.टी./ बी.आर./125/विविध

दिनांक : 29/08/2013

प्रतिलिपि :-

- {1} र.ले. नियंत्रक (सी.स.) गुवाहाटी
- {2} र.ले.संयुक्त नियंत्रक (सी.स.) चंडीगढ़
- {3} वेतन लेखा कार्यालय (ग्रेफ) पुणे
- {4} मुख्य कार्यालय के संबंधित सभी अधिकारी एवं अनुभाग

(4) ई.डी.पी. अनुभाग मुख्य कार्यालय वेबसाइट अपडेशन हेतु।

— Sd —
व. लेखा अधि.(लेखा परीक्षा)

श. Deepall
19/7/13



कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक, उलन बटार मार्ग, पालम, दिल्ली छावनी-110010.

दूरभाष सं-011-25665548, 25665736/37, 25665583/84, र.ले.सं.म.नि (लेखा एवं बजट)

दूरभाष: 011-25665614, फैक्स: 011-25674786, 25674819

लेखा0/111/7896/इ आर/ओ आर/2013-14

दिनांक: 16 .07.2013

सेवा में,

र. ले. प्र.नि./र.ले.नि. (2/2/14/5/5)

दिल्ली 3-27

विषय: वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित 05 जुलाई, 2013 से प्रभावी विनिमय राष्ट्रीय बाजार दरें ।

संदर्भ: इस मुख्यालय के दिनांक 28.06.2013 के समसंख्यक पत्र के अनुक्रम में ।

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड) के दिनांक 04.07.2013 के अधिसूचना सं0 70/2013-कस्टम्स (एन. टी.) की प्रतिलिपि जो अब रक्षा मंत्रालय (वित्त) (बजट-11) की दिनांक 05.07.2013 की अ0 वि0 सं0 230(1)/2009/बी-11 के अधीन प्राप्त हुई है, सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित की जाती है ।

व0 लेखा अधिकारी (लेखा)

